केंद्रीय हिंदी निदेशालय

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत शीर्ष संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुपालन हेतु तथा वर्ष 1955 में श्री बाल गंगाधर खेर के नेतृत्व में गठित 'प्रथम राजभाषा आयोग' की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च, 1960 को निदेशालय की स्थापना हुई। हिंदी के विकास के संदर्भ में निदेशालय जहाँ एक ओर शब्दकोश निर्माण योजना, हिंदी वर्तनी तथा देवनागरी लिपि के मानकीकरण, पत्राचार पाठ्यक्रम, वार्तालाप पुस्तिकाओं का निर्माण, पांडुलिपि प्रकाशन तथा भाषा, वार्षिकी और साहित्यमाला जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रहा है; वहीं दूसरी ओर अपने विस्तार योजना के माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों, प्राध्यापक व्याख्यान माला, नवलेखक शिविर, छात्र अध्ययन यात्राओं का आयोजन कर, साथ ही विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने, पुस्तक प्रदर्शिनियों एवं पुस्तकों के निशुल्क वितरण तथा 'हिंदी भाषावाणी' जैसे अपने आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से भाषा एवं साहित्य के विविध विषयों पर दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रदान कर निदेशालय हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। कुल मिलाकर हिंदी के समग्र विकास के साथ-साथ, सभी भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधना तथा भारत की सामासिक संस्कृति और बौद्धिक एवं भाषिक विरासत को सहेजना निदेशालय का मुख्य कर्तव्य है। यह भारत के भाषाई संघवाद का एक सशक्त प्रतीक है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-VII, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-20862356/26105211
www.chd.education.gov.in
www.chdpublication.education.gov.in

सत्यमेव जयते

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित

"हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता"

विनीत

प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी देशगव्हाणकर
निदेशक
संपर्क: 9422217600
ई-मेल: dir-chd@gov.in

पुरस्कार

- प्रथम पुरस्कार : रु. 10,000/- + प्रमाण पत्र
- द्वितीय पुरस्कार : रु. 7,000/- + प्रमाण पत्र
- तृतीय पुरस्कार : रु. 5,000/- + प्रमाण पत्र
- प्रथम प्रोत्साहन पुरस्कार : रु. 2,000/- + प्रमाण पत्र
- द्वितीय प्रोत्साहन पुरस्कार : रु. 2,000/- + प्रमाण पत्र

अन्य सभी प्रतिभागियों को निदेशालय की ओर से सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि अपना निबंध कृपया **coordinationunit.chd@gmail.com** पर भेजें।

संपर्क विवरण

डॉ. किरण झा, सहायक निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय; मो. 9968248753

श्री अच्युत कु. सिंह, सहा. अनुसंधान अधिकारी,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय; मो. 9911582771

आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करते हुए, हम आशा करते हैं कि आप इस साहित्यिक उत्सव का हिस्सा बनकर हिंदी भाषा की गरिमा एवं समृद्धि में योगदान देंगे।

निबंध का विषय

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी भाषा का भविष्य

अथवा

- देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का संबंध

अथवा

- हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का अंतः संबंध

नियम एवं शर्तें

पात्रता: निबंध लेखन प्रतियोगितामें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु सीमा के सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक निबंध मान्य नहीं होंगे। साथ ही तीनों विषयों में से किसी एक ही विषय पर निबंध प्रेषित करें।

निबंध भेजने की अंतिम तिथि: यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड होने के 30 दिनों के अंदर।

शब्द सीमा: निबंध 2500-3000 शब्दों के बीच होना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का उल्लंघन करने वाले निबंध अयोग्य माने जाएंगे।

भाषा: केवल हिंदी भाषा में लिखा निबंध मान्य होगा। भाषा की शुद्धता, वाक्य संरचना एवं विचारों की स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

मौलिकता: निबंध मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकल पाए जानेपर प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी।

प्रस्तुतिकरण: निबंध टाइप किए हुए फॉर्मेट में, पीडीएफ एवं वर्ड फाइल में ही प्रेषित करें। निबंध के साथ एक अलग फाइल में अपना संक्षिप्त जीवन-परिचय (जिसमें जन्मतिथि भी अंकित हो) भी संलग्न करें।

निर्णयन प्रक्रिया: निबंधों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति/ निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। रचनात्मकता, विषय की उपयुक्तता, भाषा का ज्ञान एवं प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए जाएंगे। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित

" हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता "

विनीत

प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी देशगव्हाणकर

निदेशक

संपर्क: 9422217600

ई-मेल: dir-chd@gov.in

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत शीर्ष संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुपालन हेतु तथा वर्ष 1955 में श्री बाल गंगाधर खेर के नेतृत्व में गठित 'प्रथम राजभाषा आयोग' की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च, 1960 को निदेशालय की स्थापना हुई। हिंदी के विकास के संदर्भ में निदेशालय जहाँ एक ओर शब्दकोश निर्माण योजना, हिंदी वर्तनी तथा देवनागरी लिपि के मानकीकरण, पत्राचार पाठ्यक्रम, वार्तालाप पुस्तिकाओं का निर्माण, पांडुलिपि प्रकाशन तथा भाषा, वार्षिकी और साहित्यमाला जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रहा है; वहीं दूसरी ओर अपने विस्तार योजना के माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों, प्राध्यापक व्याख्यान माला, नवलेखक शिविर, छात्र अध्ययन यात्राओं का आयोजन कर, साथ ही विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने, पुस्तक प्रदर्शनियों एवं पुस्तकों के निशुल्क वितरण तथा 'हिंदी भाषावाणी' जैसे अपने आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से भाषा एवं साहित्य के विविध विषयों पर दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रदान कर निदेशालय हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। कुल मिलाकर हिंदी के समग्र विकास के साथ-साथ, सभी भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधना तथा भारत की सामासिक संस्कृति और बौद्धिक एवं भाषिक विरासत को सहेजना निदेशालय का मुख्य कर्तव्य है। यह भारत के भाषाई संघवाद का एक सशक्त प्रतीक है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-VII, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-20862356/26105211
www.chd.education.gov.in
www.chdpublication.education.gov.in

निबंध का विषय

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी भाषा का भविष्य
  अथवा
- देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का संबंध
  अथवा
- हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का अंतः संबंध

नियम एवं शर्तें

पात्रता: निबंध लेखन प्रतियोगितामें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु सीमा के सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक निबंध मान्य नहीं होंगे। साथ ही तीनों विषयों में से किसी एक ही विषय पर निबंध प्रेषित करें।
निबंध भेजने की अंतिम तिथि: यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड होने के 30 दिनों के अंदर।
शब्द सीमा: निबंध 2500-3000 शब्दों के बीच होना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का उल्लंघन करने वाले निबंध अयोग्य माने जाएंगे।
भाषा: केवल हिंदी भाषा में लिखा निबंध मान्य होगा। भाषा की शुद्धता, वाक्य संरचना एवं विचारों की स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
मौलिकता: निबंध मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकल पाए जानेपर प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी।
प्रस्तुतिकरण: निबंध टाइप किए हुए फॉर्मेट में, पीडीएफ एवं वर्ड फाइल में ही प्रेषित करें। निबंध के साथ एक अलग फाइल में अपना संक्षिप्त जीवन-परिचय (जिसमें जन्मतिथि भी अंकित हो) भी संलग्न करें।
निर्णयन प्रक्रिया: निबंधों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति/ निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। रचनात्मकता, विषय की उपयुक्तता, भाषा का ज्ञान एवं प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए जाएंगे। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

पुरस्कार

- प्रथम पुरस्कार : रु. 10,000/- + प्रमाण पत्र
- द्वितीय पुरस्कार : रु. 7,000/- + प्रमाण पत्र
- तृतीय पुरस्कार : रु. 5,000/- + प्रमाण पत्र
- प्रथम प्रोत्साहन पुरस्कार : रु. 2,000/- + प्रमाण पत्र
- द्वितीय प्रोत्साहन पुरस्कार : रु. 2,000/- + प्रमाण पत्र

अन्य सभी प्रतिभागियों को निदेशालय की ओर से सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि अपना निबंध कृपया **coordinationunit.chd@gmail.com** पर भेजें।

संपर्क विवरण

डॉ. किरण झा, सहायक निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय; मो. 9968248753

श्री अच्युत कु. सिंह, सहा. अनुसंधान अधिकारी,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय; मो. 9911582771

आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करते हुए, हम आशा करते हैं कि आप इस साहित्यिक उत्सव का हिस्सा बनकर हिंदी भाषा की गरिमा एवं समृद्धि में योगदान देंगे।